रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232791
CG-DL-E-20012022-232791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]	नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2022/पौष 29, 1943
No. 27]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2022/PAUSHA 29, 1943

आयुष मंत्रालय

(राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि 27(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग का, (समूह 'क' और समूह 'ख') भर्ती नियम, 2009, को प्रलेखन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के पद से अब तक संबंधित उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इसके द्वारा आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड में प्रलेखन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के पद पर भर्ती की विधि का विनियमन करने के लिए निम्नानुसार नियम बनाते हैं, अर्थात –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**: (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय में प्रलेखन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **वेतन मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर**: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथाविनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है /या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी (जीवनसाथी) के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केंद्रीय सरकार ,यदि संतुष्ट हो, का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य कोई आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि जहां ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत श्रेणियों में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृतियाँ** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रलेखन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अननुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (₹ 35,400 - ₹ 1,12,400/-) में	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाच वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी) **टिप्पण** : आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए विज्ञापन के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अहर्ताएं प्रोन्नतियों के मामले में लागू होंगी?	परिवीक्षा अवधि , यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अहर्ता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से किसी भी विषय के साथ स्नातक डिग्री	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा सूचना प्रौद्योगिकी में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग अथवा केंद्र सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग अथवा केंद्र सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं यदि किसी भी चरण में कर्मचारी चयन आयोग अथवा केंद्र सरकार के यह राय हो कि आवश्यक अनुभव रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति /आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने की दशा में ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अथवा अनुसंधान संस्थान का अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पदधारण करता हो अथवा (ii) स्तर-5 के वेतन मैट्रिक्स ₹29200-₹ 92300 के ग्रेड में (₹ 5200-₹20,200 + ₹ 2800/- के ग्रेड वेतन का संशोधन पूर्व स्केल) नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में छः वर्ष की नियमित सेवा अथवा मूल संवर्ग अथवा विभाग समतुल्य में सेवा; और (ख) स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता और अनुभव रखता हो **टिप्पणी 1**: उसी विभाग अथवा किसी अन्य संगठन अथवा केंद्र सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पूर्व अन्य बाह्य संवर्ग में धारित पद की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' की पुष्टिकरण समिति (सीधी भर्ती की पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए): (1) संयुक्त सचिव,आयुष मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) निदेशक, आयुष मंत्रालय - सदस्य; (3) निदेशक (तकनीक)- सह- उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, (राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड) अथवा उप सचिव (स्थापना), आयुष मंत्रालय - सदस्य (4) अध्यक्ष द्वारा नामित/नियुक्त एक प्रशासनिक विशेषज्ञ – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख के दिन छप्पन (56) वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फ़ा. सं. ए-11012/4/2018-एनएमपीबी(प्रशा.) पार्ट - I)]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH

(NATIONAL MEDICINAL PLANTS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2021

G.S.R. 27(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in the supersession of the National Medicinal Plants Board, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2009, in so far as they relate to the post of Documentation and Information Technology Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Documentation and Information Technology Assistant in the National Medicinal Plants Board, under the Ministry of AYUSH, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the National Medicinal Plants Board, Ministry of AYUSH, Documentation and Information Technology Assistant, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of said post, its classification and level in the pay matrix, attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal laws applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons, in accordance with orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Documentation and Information Technology Assistant.	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'B'.	Level - 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(6)	**(7)**
Not exceeding 30 years. (relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential Qualification:** (i) Bachelor Degree in any discipline from a recognised University or Institute; and (ii) One year Diploma Course in Computer Application or Information Technology from a recognized Institution **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Central Government, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Central Government, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	Deputation including short term contract failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
By deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union Territory or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or Recognised University or Institute or Research Institution, -	Group 'B' Confirmation Committee(for considering confirmation of direct recruits) consisting of: 1. Joint Secretary, Ministry of AYUSH - Chairperson; 2. Director, Ministry of AYUSH - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay matrix Rs. 29,200-92,300 in level-5 (pre-revised scale of Rs. 5,200-20,200 plus grade pay of Rs. 2,800/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1**: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	3. Director (Technical) - cum -Deputy Chief Executive Officer (National Medicinal Plants Board) or Deputy Secretary (Estt.), Ministry of AYUSH – Member; 4. One Administrative Expert appointed by Chairperson – Member.	

[F. No. A-11012/4/2018-NMPB(Admin) Part-I]

KAVITA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.20 20:34:21 +05'30'